सोनभद्र पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 21.08.2026

- **"ऑपरेशन शुद्धि" के तहत थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस एवं एसओजी/सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई**
- **अन्तर्राज्यीय गांजा तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, 03 शातिर गांजा तस्कर गिरफ्तार**
- **उड़ीसा से वाराणसी ले जाया जा रहा 86 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद, अनुमानित कीमत ₹43 लाख**
- **तस्करी में प्रयुक्त बिना नम्बर प्लेट की किआ कार अनुमानित कीमत ₹12 लाख, 03 एण्ड्रॉयड मोबाइल फोन एवं ₹680/- नगद बरामद**
- **(कुल अनुमानित कीमत ₹55 लाख)**

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र **श्री अभिषेक वर्मा** के निर्देशन में **“ऑपरेशन शुद्धि”** के तहत मादक पदार्थों की तस्करी एवं अवैध कारोबार में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन **श्री ऋषभ रुणवाल**, अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय **श्री अनिल कुमार** तथा क्षेत्राधिकारी नगर **श्री रणधीर कुमार मिश्रा** के पर्यवेक्षण में एवं प्रभारी निरीक्षक थाना रॉबर्ट्सगंज के कुशल नेतृत्व में थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस एवं एसओजी/सर्विलांस टीम की संयुक्त पुलिस टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। संयुक्त टीम द्वारा **अन्तर्राज्यीय गांजा तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 03 शातिर गांजा तस्करों को गिरफ्तार** किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से **उड़ीसा से वाराणसी ले जाया जा रहा 86 किलोग्राम अवैध गांजा,** जिसकी अनुमानित कीमत **₹43 लाख** है, तस्करी में प्रयुक्त **बिना नम्बर प्लेट की किआ कार अनुमानित कीमत ₹12 लाख, 03 एण्ड्रॉयड मोबाइल फोन एवं ₹680/- नगद बरामद** किए गए हैं।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 20.08.2026 को थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस, चौकी लोढ़ी, चौकी चुर्क एवं एसओजी/सर्विलांस टीम द्वारा **लोढ़ी टोल प्लाजा से पूर्व ईको प्वाइंट के पास संदिग्ध वाहनों एवं व्यक्तियों** की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि तीन व्यक्ति काले रंग की बिना नम्बर प्लेट की **किआ कार से उड़ीसा से अवैध गांजा लेकर वाराणसी** की ओर आ रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल योजनाबद्ध तरीके से सघन चेकिंग प्रारम्भ की गई। कुछ समय बाद ईको प्वाइंट की ओर से आती हुई काले रंग की

बिना नम्बर प्लेट की किआ कार को मुखबिर द्वारा चिन्हित किया गया। पुलिस टीम को देखकर कार सवार व्यक्तियों द्वारा कार को मोड़कर भागने का प्रयास किया गया, जिन्हें पुलिस टीम द्वारा तत्परता एवं घेराबंदी कर **दिनांक 20.08.2026** को समय करीब **19:28 बजे** बिना भागने का अवसर दिए पकड़ लिया गया।

कृत कार्यवाही—

पकड़े गए तीनों अभियुक्तों को उनके विधिक अधिकारों से अवगत कराते हुए नियमानुसार तलाशी की कार्रवाई क्षेत्राधिकारी नगर **श्री रणधीर कुमार मिश्रा** की उपस्थिति में कराई गई। कार की डिग्गी एवं सीट के पास से खाकी रंग के टेप से लिपटे **कुल 35 बण्डल बरामद** हुए। बण्डलों को खोलकर भौतिक परीक्षण एवं इलेक्ट्रॉनिक तराजू से वजन करने पर **कुल 86 किलोग्राम अवैध गांजा** पाया गया। बरामद गांजे को चार प्लास्टिक की बोरियों में **क्रमशः पी-1, पी-2, पी-3 एवं पी-4** अंकित कर रखा गया, जिनका वजन क्रमशः **22 किलोग्राम, 22 किलोग्राम, 21 किलोग्राम एवं 21 किलोग्राम, कुल 86 किलोग्राम** पाया गया। बरामद गांजे को नियमानुसार सील सर्वमुहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया।

अभियुक्तों की जामा तलाशी से **03 एण्ड्रॉयड मोबाइल फोन एवं कुल ₹680/- नगद** बरामद हुए। इसके अतिरिक्त अवैध गांजा परिवहन में प्रयुक्त काले रंग की बिना नम्बर प्लेट की किआ कार के आवश्यक कागजात प्रस्तुत न किए जाने पर उसे भी नियमानुसार कब्जा पुलिस में लिया गया। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर **थाना रॉबर्ट्सगंज पर मु0अ0सं0-705/2026 धारा 8/20/27A/29/60 एनडीपीएस एक्ट** के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण—

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ में ज्ञात हुआ कि वे **फुलवानी, उड़ीसा से अवैध गांजा लेकर वाराणसी पहुंचाने** जा रहे थे। पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि जनपद भोजपुर (आरा) बिहार, निवासी द्वारा गांजा मंगाने के लिए धन एवं वाहन की व्यवस्था की जाती है तथा उनके द्वारा बताए गए स्थान पर गांजा पहुंचाने के लिए अभियुक्तों को भेजा जाता है।

अभियुक्तों ने बताया कि गांजा की खेप पहुंचाने के एवज में उन्हें अलग-अलग रकम दी जाती है। **कार चालक राजकुमार पासवान को** लगभग **₹30,000/-, बगल में बैठे विकास कुमार राय** को **₹25,000/-** तथा **पीछे बैठकर गांजा ले जाने वाले विनोद साव** को लगभग **₹15,000/-** दिए जाने तय थे। रास्ते में होने वाले अन्य खर्चों की व्यवस्था भी जनपद भोजपुर (आरा) बिहार, निवासी द्वारा ही की जाती है तथा उनके द्वारा ही **आगे-पीछे चलकर वाहन की लोकेशन एवं रास्ते की जानकारी** दी जाती है। गांजा खरीदने के लिए **ऑनलाइन माध्यम से धनराशि भी पहले भेजे** जाने की बात प्रकाश में आई है। पूछताछ में प्रकाश में आए अन्य संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की गहनता से जांच की जा रही है। बरामद मोबाइल फोन एवं अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अन्तर्राज्यीय गांजा तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य व्यक्तियों को चिन्हित कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—

1. **राजकुमार पासवान**, पुत्र स्व0 पंचानन्द पासवान, उम्र 35 वर्ष, निवासी रामशहर, थाना बड़हरा, जनपद भोजपुर (आरा), बिहार।
2. **विकास कुमार राय**, पुत्र सत्येन्द्र राय, उम्र 24 वर्ष, निवासी सुरंगापुर, थाना संदेश, जनपद भोजपुर (आरा), बिहार।
3. **विनोद साव**, पुत्र मन्नू साव, उम्र 35 वर्ष, निवासी मटुकपुर, थाना बड़हरा, जनपद भोजपुर (आरा), बिहार।

बरामदगी का विवरण—

1. चार प्लास्टिक की बोरियों में **(कुल 35 बण्डल)** 86 किलोग्राम अवैध गांजा – अनुमानित कीमत ₹43 लाख।
2. परिवहन में प्रयुक्त बिना नम्बर प्लेट की किआ कार (अनुमानित कीमत ₹12 लाख)।
3. 03 एण्ड्रॉयड मोबाइल फोन।
4. ₹680/- नगद।

(कुल अनुमानित कीमत ₹55 लाख)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1. प्र0नि0 श्री रामस्वरूप वर्मा थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र।
2. निरीक्षक नागेश सिंह, एसओजी/सर्विलांस प्रभारी।
3. उ0नि0 उमाशंकर यादव, चौकी प्रभारी लोढ़ी थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र।
4. उ0नि0 धर्मनारायण भार्गव, चौकी प्रभारी चुर्क थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र।
5. हे0का0 राम सिंह, हे0का0 दिनेश कुमार, हे0का0 अमरजीत यादव, रि0का0 मशी अहमद थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र।
6. हे0का0 मनीष सिंह, का0 अजीत कुमार, का0 सत्यम पाण्डेय, का0 रितेश सिंह पटेल, का0 अजीत यादव एसओजी/सर्विलांस टीम।